Indian Research Journal
Vol -2 , ISSUE –XI, Dec- 2012
ISSN No - 2230 - 7850
Available online at www.lbp.world

ORIGINAL ARTICLE

राजनीतिक अपराधीकरण और भारतीय समाज

डॉ० अंजीत कुमार चौधरी
बी०ए०, एम० ए० (राजनीति विज्ञान), पी–एच० डी०
ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा.

भूमिका

यह सर्वविदित है कि समाज और शासन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होने के लिए सार्वजनिक हित में व्यवहार के कुछ आदर्श प्रतिमान सुस्थापित है। उसमें नैतिकता, कर्त्तव्यनिष्ठ, पद एवं सत्ता का सदुपयोग मुख्य रूप से सन्निहित किए जा सकते है। ये प्रतिमान स्वस्थ समाज की परम्पराओं पर आधारित हैं। समाज रूपी व्यवस्था की सुदृढ़ता इन पर ही निर्भर है। अतएव प्रत्येक समाज इनका पक्षधर है। ये प्रतिमान ही नैतिक आदर्शों के प्रतिरूप माने जाते है। अपने निजी आर्थिक हितों की पूर्ती के लिए सत्ता का दुरूपयोग करना भ्रष्टाचार एवं अपराध कहा जाता है।

आजकल सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि सत्ता से जुड़े लोग जनता की सेवा की जगह निजी हितों की पूर्ति की भावना से प्रभावित हो चुके है। किसी भी प्रकार धन–प्राप्ति तथा अपने रक्त संबंधों को आगे बढ़ाना उनका एकमात्र लक्ष्य बन चुका हैं अपने इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उचित–अनुचित का विचार करना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। सत्ता के आकर्षण से प्रभावित ऐसे राजनेता अपनी महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समाज में अराजक तत्वों तथा अपराधियों से भी गठजोड़ करने में नहीं हिचकिचाते। परिणामतः धीरे–धीरे राजनीति, अपराधियों की शरणस्थली बन चुकी है और इसका भयंकर अपराधीकरण हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप अपराध और भ्रष्टाचार के बीच घनिष्ट संबंध स्थापित हो गए है। ये दोनों मिल कर ऐसे दुष्चक्र का निर्माण करते है जिसे तोड़ना आसाना नहीं होता।

सन् 1980 के विधानसभा निर्वाचन में देखा गया कि अराजक एवं असामाजिक तत्वों का सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा बलपूर्वक मतदान केन्द्रों पर कब्ज करने के लिए खुलिकर उपयोग किया गया जो अपराध एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता हैं। चुनावों में यह आम प्रवृति बन चुकी थी। राजनेताओं द्वारा उत्तेजित करने पर आए–दिन खून–खराबें की घटनाएँ राजनीति का एक अंग बन चुकी हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, अथवा सत्ता प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त करना होता है।

राजनीति को विकृत करने में धन तथा भौतिक संसाधनों की तरह नारी सौन्दर्य का प्रयोग के उनेक उदाहरण भी समय–समय पर संज्ञान में आते रहे है। इस तरह के अनेक प्रकरणों में यह देखा गया कि सत्ता प्राप्ति की अन्धी दौड़ में सफलता पाने हेतु अनेक राजनीतिक व्यक्तियों ने नारी सौन्दर्य का उपयोग करते हुए अपने राजनीतिक प्रभाव को सफलतापूर्वक बढ़ाया। दूसरी तरफ सत्ता पर स्थापित मठाधीशों ने अपनी दासना की संतुष्टि की कीमत पर सत्ता का दुरूपयोग करते हुए ऐसे तमाम कार्य किए जो वास्तव में उन्हें नहीं करने चाहिए थे : उदाहरण के लिए 28 मार्च 1980 के पूर्णिमा सिंह नाम की महिला हत्याकाण्ड राजनेताओं के ऐसे ही भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र को उजागर करता है जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन सांसद देवेन्द्र सिंह गारचा, पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह गारचा, सरदार स्वर्ण सिंह के भतीजे बलवीर सिंह तथा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन महासचिव वीणा मोहिंदर का नाम उछल कर समाने आया, लेकिन सत्ता के बलबूते से इस हत्याकाण्ड से पर्दा उठाने नहीं दिया गया और एक दुःखद कहानी बन कर रह गई।

राजनीतिक अपराध का–वैधानिक आशय :

भारतीय दंड संहिता के अध्याय–9 में भ्रष्टाचार एवं अपराध को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें उपबंधित धारा 161 प्रमुखतः लोक सेवकों में भ्रष्टाचार से संबंधित है जिनकी परिधि में घुस अथवा रिश्वत और सहवर्ती अपराध, विधि विरूद्ध कार्य एवं लोक सेवकों के प्रतिरूपण संबंधी कार्य आते है। धारा 161 में उपबन्धित है कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी माना जाएगा जो, "कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्यक्षा रखते हुए, वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी परितोषण इस बात को करने के लिए या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने का सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे अथवा किसी व्यक्ति को अपने परीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह दिखाए अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल में या किसी लोक सेवक के यहां उसको वैसी हैसियत से किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे।

उपरोक्त वाक्यांश में– "लोक सेवक की प्रत्याक्षा रखते हुए,'' का सष्टीकरण इस प्रकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, जो किसी पद पर नियुक्त होने की पत्याक्ष न रखते हुए, दूसरों को प्रवंचना से यह विश्वास कराकर कि वह किसी पद पर होने वाला है, और यह कि तब वह उनका उपकार करेगा, उनसे परितोषण अभिप्राप्त करेगा, तो वह छल करने का दोषी हो सकेगा, किन्तु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं है।

पुनः उक्त धारा में परितोषण शब्द का स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया गया है–

''परितोषण शब्द धन संबंधी परितोषण तक या उन परितोषणों तक ही, जो धन में आँके जाने योग्य हैं, निर्बन्धित नहीं हैं।'' इसमें सभी प्रकार के अर्वतनिक सम्मान एवं अभिलाषायें सम्मिलित हैं। वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न किसी भी प्रकार का परितोषण यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता के उपरोक्त 161 से 165ए तक की धाराओं को अब समाप्त करके उसके स्थान पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 को प्रवर्तन में ला दिया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार के संबंध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दी गई परिभाषा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 में भी उसी रूप में शामिल किया गय है।

वस्तुतः अपराधीकरण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सीमा तक अपनी जड़े जमा चुका है कि कदम–कदम पर लोकतंत्र के सिद्धांतों एवं आदर्शों की अवहेलना हो जाती है। सिद्धांत के रूप में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखेंगे। संसद से यह आशा की जाती है कि वह कार्यपालिका को अनियंत्रित होने से रोकेगी, न्यायपालिका से राज्य की सत्ता से आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आशा की जाती है और संचार माध्यमों से सार्वजनिक जीवन में घूसखोरों तथा अन्याय को रेखांकित करने की अपेक्षा की जाती है। यदि भारतीय प्रजातंत्र के अस्तित्व को बनाए रखना है तो आवश्यक है कि ये कार्य पूरे किए जाएँ।

प्रजातंत्र के ढांचे में यह सर्वमान्य तथ्य है कि अपराधी, विशेषतः वे जिनसे जनसेवा की अपेक्षा की जाती है, अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराए जाएँ। परंतु आश्चर्य है कि भारतीय प्रजातंत्र के विगत 20 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक भी ऐसे राजनेता का नाम सुर्खियों में नहीं आया जो संसद या उसकी समितियों द्वारा दोषी ठहराया गया हो, जबकि इनसे इस उत्तरदायित्व की आशा की जाती है। इसके स्थान पर यह देखा गया है कि एक मंत्री ने जिसकी लोक लेखा समिति ने भर्त्सना की है क्योंकि उसने अन्य कम्पनियों को छोड़कर जो मूल्यों एवं गुणवत्ता में समान थे एक विदेशी कम्पनी को ठेका दे दिया, बाद में अपनी जिद्द प्रदर्शित करते हुए इस तर्क के आधार पर त्यागपत्र देने से इंकार कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा।

आज सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एवं अपराधियों का बोल–बाला है। सत्यनिष्ठा का नितान्त अभाव है। उत्तरदायित्व व सच्चरित्रता पूर्णतः लुप्त हो चुकी है। इस स्थिति को लगभग 60 वर्ष पूर्व महात्मा गाँधी ने विधिवत् भाँप लिया था और संभवतः इसीलिए उसी समय उन्होंने सदाचार को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अपनाए जाने का परामर्श दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार के वर्चस्व को देखने की अपेक्षा वे पूरे संगठन का सम्मानजनक अन्त देखना चाहेंगे। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के

ऊपर गांधी जी के इस अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वे जानते थे कि कांग्रेस का नाम भविष्य में उनके लिए वोट प्राप्त करके सत्ता के शिखर पर पहुँचने का एक अमोध अस्त्र होगा। परिणाम सामने है। गांधी जी की आशंका आज मूर्त रूप ले चुकी है जो ऐसे प्रमुख राजनीतिक घोटालों के रूप में दिखाई पड़ रही है जो विगत के वर्षों में हुए, चाहे वो चीनी घोटाला हो, पनडुब्बियों के खरीद का मामला हो, वफोर्स की दलाली हो या बैंकिंग और सट्टा बाजार का वह घोटाला हो जिसमें हर्षद मेहता, बैंकों के बड़े अधिकारी, प्रमुख दलाल तथा सरकरी अधिकारी शामिल थे। इन तमाम मामलों में एक भी शीर्ष अधिकारी या राजनेता के अब तक सजा देने में सफलता नहीं मिल सकी है। संसदीय समितियाँ गठित की गई जिनमें सभी दलों के राजनेता शामिल भी थे लेकिन घोटालों की जाँच का परिणाम शून्य ही रहा।

चीनी और सट्टा घोटालों को लेकर एक दो मंत्रियों के देर से दिए गए त्यागपत्रों को छोड़कर तथा एक सिविल आपूर्ति मंत्री द्वारा त्यागपत्र देकर दुर्लभ नैतिक आचरण का परिचय देने के अतिरिक्त इन घोटालों में किसी एक भी वरिष्ठ अधिकारी को उसकी भूमिकाओं के लिए दंडित नहीं किया गया। 1992 के सट्टा बाजार एवं बैंकिंग घोटालों में केवल कुछ वरिष्ठ, मध्यम और निम्नस्तर के बैंक अधिकारियों, हर्षद मेहता और उनके परिवार के सदस्यों तथा प्रमुख शेयर दलालों ने ही इसकी कीमत चुकाई।[5] इन घोटालों में जिन प्रमुख राजनीतिज्ञों के नाम प्रकाश में आए वे आज भी पर्दे के पीछे राहत की साँस ले रहे है। क्या ऐसा संभव है कि कांड कुछ न कुछ राजनीतिक सांठ–गांठ और राजनीतिक संरक्षण एवं जानकारी के बिना हो सकते है? बिहार के चरा घोटाले में राजनीतिक संरक्षण में फल–फूल रहे अपराध और राजनीतिज्ञ प्रशासक अवैध संबंध इसके ज्वलन्त उदाहरण है।

अपराध की कई दिशाएं और कारक

अपराध की कई दिशाएं और कारक होते हैं। उन कारकों के आपसी जटिल संबंधों के कारण उन्हें पहचान पाना बड़ा कठिन है। भारत में आर्थिक दृष्टि से शीर्षस्थ 10 प्रतिशत आबादी स्थाई सरकारी नौकरीवाली है। अधिकारी वर्ग शीर्षस्थ एक प्रतिशत में आता है। लिहाजा सभी सरकारी नुमाइन्दों को अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। सभी सरकारी कर्मचारी समृद्ध नहीं है। बल्कि वे अधिक सुविधा या आराम, सुरक्षा और उंचा स्तर चाहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश में तीन बातों की घोर अपेक्षा कर देश में दुर्बलता, अपराध के प्रति आकर्षण और प्रतिबद्धता में कमी को पैदा किया है। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक बंधन काफी मजबूत है। कोई भी नौकरीशुदा व्यक्ति इन मानसिक जरूरतों की संतुष्टि करने में असफल हो जाता है तो वह निष्ठा और प्रतिबद्धता खो बैठता है।

भारतीय लोग बचत करना चाहते हैं, परिवार के लिए त्याग करते हैं। बच्चों को शिक्षित और वृद्धों की सेवा करना चाहते हैं। सरकार ने जनता की इस त्याग भावना का तिरस्कार किया है। जमीन–जायदाद के दाम कृत्रिम तौर पर चढ़ाए गए। शिक्षा को दुर्लभ बनाया और स्वस्थ सेवाओं को श्मानदार आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। स्थिति अत्यधिक बुरी है क्योंकि ये अभाव उपेक्षा के कारण पैदा हुए हैं न कि संसाधनों की कमी के कारण। यही तर्क है, जिससे अधिकारी वर्ग अपने परिवारों की इच्छापूर्ति करने के लिए अपने भ्रष्ट हो जाने को मजबूर हो जाते हैं। यह आवश्यकता भ्रष्टाचार एवं अपराध को तार्किक आधार देती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नियम, कानून जाहिर तौर पर जनता के हित के लिए थे, वे व्यक्ति के दैनिक व्यवहार में उन लोगों के हित पोषक बन गए जिनके हाथ में सत्ता थी और जिनके मित्र रिश्तेदार और करीबी थे। देश और जनता की संपति के रूप में उपयोग करते हुए एक समानान्तर सत्ता चलाने लगे। उनकी कारगुजारी कानून सम्मत न होने और प्रतिबन्ध लगाने योग्य होने के बावजूद आज समाज में स्वीकार्य है। यह निर्विवाद है कि आज राजनेता, बड़े नौकरशाह और उनके करीबी रिश्तेदार तथा मित्र संदेह के घेरे में है।

राज्यों और केन्द्र सरकारों के मंत्रियों पर रिश्वत, लेने के आरोप लगते हैं जिनमें दिग्गजों का सीधा हाथ होता है या उनका संरक्षण होता है। इस तरह के मामलों की जब जांच होती है तो सीबीआई जैसी संस्थाएं उन पर उन्हीं राजनेताओं का नियंत्रण होने के कारण कुछ नहीं कर पाती है जिनपर घोटालों से

जुड़े लोगों का संबंध होता है। रोजगार की तलाश में भटकने वाले व्यक्ति को रोजगार खरीदना पड़ता है। कारण स्वतंत्रता प्राप्ति की 62 वर्ष के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था ऐसे मोड़ पर आ गई है कि जनता को सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। जिला स्तर पर शिक्षकों और बाबुओं की नियुक्ति के विभिन्न तौर–तरीके और विधान है, परंतु नियुक्ति किसकी होगी यह पहले से निश्चित होता है। इस कारगजारी को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। स्पष्ट है कि जो लोग नौकरी खरीद कर आते हैं वे उस कीमत को निवेश के रूप में ही तरह–तरह से जनता से वसूलते हैं।

आज राजनीतिक व्यवस्था अनुत्तरदायी है। विधायक, जिन्हें जनता चुनती है को अपनी पार्टी का समर्थन प्राप्त होता हैं पार्टी का अपना संविधान व अपने कार्यक्रम होते हैं। यह तथ्यगत बात है कि पार्टी उम्मीदवार पार्टी का होता है, जनता वापसी चाहती है। न केवल वे सदस्य जो मंत्री निगमों के अध्यक्ष बन जाते हैं बल्कि सत्तादल के सांसद, विधायक पार्टी के दबाव में या स्वयं पुलिस प्रशासन और जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है, जवाबदेह नहीं होते और जनता की परवाह करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने कुर्ग जिला में जनता की इच्छा . के विरूद्ध क्रीड़ा परिसर में होटल बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। कारण होटल निर्माता एक राजनीतिज्ञ का करीबी था। यह अपने किस्म का अकेला मामला नहीं है। कुर्ग के हरे–भरे जंगल को साफ कर दिया गया।

विधायिका ने दलीय बहुमत के आधार पर सरकार बनाने की व्यवस्था के कारण अपराधीकरण में वृद्धि हुई है। यह कई तरह की बुराइयों का स्रोत है। अनैतिकता की धारा जो नीचे की ओर बहती हुई संपूर्ण राष्ट्र जीवन में जहर घोल रही है। इसकी शुरूआत पार्टियों द्वारा बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने के साथ ही हो जाती है। चुनाव जीतना राजनीतिक दलों का केन्द्रीय लक्ष्य होता है और उसे पूरा करने के लिए वह हर संभव कोशिश करते हैं। जो भी स्रोत हो सकते हैं उसका वे उपयोग करते हैं। हर तरह के व्यापारियों से धन लेते हैं। आराजक तत्वों से सांठ–गांठ करते हैं। विरोधियों को डरा धमका कर अलग–थलग करके उनहें खरीदते हैं और जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। चुनाव के बाद उनका समर्थन करनेवाले अराजक तत्व महिमामंडित होते हैं। सत्तादल उन्हें गैर–कानूनी ढंग से मदद करते हैं।

निष्कर्ष

राजनीति का अपराधिकरण का प्रभाव केवल महानगरों तक ही सीमित नहीं है वरन् ग्रामीण स्तर तक व्याप्त हो चुका है। आम जनमानस की धारणा भी उन अपराधियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दिखलाई पड़ता है। किसी लोभवश ही सही समय आने पर उन अपराधियों का विरोध करने के वजाय उन्हें समर्थन देने में भी नहीं हिचकते है। परिणामतः राजनीतिक अपराधियों द्वारा सामाजिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों को बूरी तरह प्रभावित किया जाता है जिसके कारण 21वीं सदी के भारत आज भी 19वीं सदी की तरह ही अल्प विकसित अवस्था में है। राजनीतिक अपराधियों द्वारा किए गए कुकृत्यों का प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर दिया है।

संदर्भ स्रोत

1. माइकेल–क्लार्क (संपादित) रू करप्शन (कॉलेज, कान्सीवचेसेज एंड कन्ट्रोल), फ्रीमैन प्रिन्टर, लन्दन, 1983 पृ0. 15–18
2. मुखोपाध्याय, ए. के. : दि पॉलिटिकल मिसलेनी, एस्सेज इन मेमोरी ऑफ प्रोफेसर आर. सी. घोष, के. पी. बावचीस कम्पनी, कलकत्ता, नई दिल्ली, 1986 पृ0. 62–68
3. एम. हिदायतुल्ला : डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ज्यूडीशियल प्रॉसेस, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1996 पृ0. 36–42
4. हलाया, एम0– 'करप्शन इन इंडिया' प्रकाशक–आफलियेटेड ईस्ट–वेस्ट थेस प्राव लि0, 20/1 ए0 बर्नबी रोड, मद्रास– 600010, वर्ष 1985, पृष्ठ 112–126

5. मन्सुखानी, एच0 एल0– 'करप्शन एण्ड पब्लिक सर्वेन्ट्स', प्रकाशक–विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0–5 अंसारी रोड, नई दिल्ली–110002, वर्ष–1979, पृ0–164–170
6. क्लार्क, साइकेल–करप्शनय कन्सी क्यून्सेस एण्ड कन्ट्रोल, प्रकाशित फ्रांसेज विंटर, पब्लिशर्स लि0, 5 ड्राइडेन स्ट्रीट, लंदन–डब्ल्यू सी0 2 ई 9 एन0 डब्ल्यू0, वर्ष– 1983, पृ०––180–190
7. तथैव 8. शील, नित्येन्द्रनाथ–भ्रष्टाचार और लोसतर्कता, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद–4, वर्ष–1970, पृ0–96
9. तथैव
10. पुरोहित, सम्पतलाल–भ्रष्टाचार (उपन्यास), युगछाया प्रकाशन, 7/14 अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली –2, वर्ष–1966, पृ0 150 11.
11. तथैव